# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS**

---

प्रकरण सं. 18/2019 वाद

नन्दराम दास पिता रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 42 साल, पेशा खेती, निवासी भट्‌ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. कृष्णा बाई पुत्री रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 38 साल, निवासी भट्‌ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गीता बाई पुत्री रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 37 साल, निवासी भट्‌ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.**

**श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादी, उपस्थित**

निर्णय दिनांक 04.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मकनपुरा की खाता संख्या 24 की आराजी नं. 68 व 71 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता नानुराम दास उर्फ रामचन्द्र दास की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। नानुराम दास उर्फ रामचन्द्र दास की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादी अकेला काबिज काश्त है। नानुराम दास उर्फ रामचन्द्र दास ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 27.04.2015 को अपने पुत्र वादी नन्दराम दास के पक्ष में निष्पादित किया तथा दिनांक 26. 05.2015 को उनकी मृत्यु हो गई। उक्त वसीयतनामें से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी सहमत थे। नानुरामदास की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल खुलवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना तामिल के

अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 3 ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि रामचन्द्र दास एवं नानूराम दास एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा उसे दोनों नामों से जाना जाता था। अन्य कथनों पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम मकनपुरा की खाता संख्या 24 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1 एवं वसीयत दिनांक 27.04.2015 प्रदर्श-2 प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी नन्दराम दास पिता रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी पीडब्ल्यु-1, पप्पु पिता केसरीमल जैन पीडब्ल्यु-2, शंकर पिता गोविन्द जैन पीडब्ल्यु-3, राजु पिता दुर्गा बंजारा पीडब्ल्यु-4 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा बयान करवाये हैं। प्रदर्श-1 अनुसार विवादित भूमि नानुरामदास पिता कालुदास बैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वसीयतनामें अनुसार रामचन्द्र दास उर्फ नानुराम दास ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति अपने पुत्र वादी के नाम वसीयत कर दी है। मौखिक साक्ष्य जिनमें वसीयत के गवाह भी हैं, ने वादी के कथनों की ताईद की है। इसके अतिरिक्त वादी ने ग्राम मकनपुरा के नामान्तरकरणसंख्या 82 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार विवादित भूमि नानुराम दास पिता कालुदास बैरागी निवासी मकनपुरा को आवंटित की गई थी । इस प्रकार स्वयं को आवंटनशुदा भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार मृतक को था। अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया है कि रामचन्द्र दास उर्फ नानुराम दास एक ही व्यक्ति हैं जिसे दोनों नामों से जाना जाता है। रामचन्द्र दास की मृत्यु हो चुकी है। वसीयत की रू में वादी रामचन्द्र दास की विरासत प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मकनपुरा की खाता संख्या 24 की आराजी नं. 68 व 71 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टेयर भूमि वादी नन्दराम दास पिता रामचन्द्र दास बैरागी के खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 04.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS**

प्रकरण सं. 18/2019 वाद

नन्दराम दास पिता रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 42 साल, पेशा खेती, निवासी भट्ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. कृष्णा बाई पुत्री रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 38 साल, निवासी भट्ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गीता बाई पुत्री रामचन्द्र उर्फ नानुराम दास बैरागी, आयु 37 साल, निवासी भट्ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.**

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मकनपुरा की खाता संख्या 24 की आराजी नं. 68 व 71 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टेयर भूमि वादी नन्दराम दास पिता रामचन्द्र दास बैरागी के खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 04.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

**(पंकज शर्मा)**
**उपखण्ड अधिकारी,**
**निम्बाहेड़ा**

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:43:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: